संख्याः 1/2017 /जी-2- 200 /दस-2016-3/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2017

विषयः- उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों (प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को यात्रा भत्ता की अनुन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय सेवकों (प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को वर्तमान में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- जी-2-175 /दस-2011-601/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता देय है।

2- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गई संस्तुतियय़ों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-4 में दी गयी व्यवस्था निम्नवतः हैः-

> ''राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे अन्य भत्ते, विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन एवं सुविधायें (महंगाई भत्ते को छोड़कर) वर्तमान में किसी ग्रेड वेतन के लिए जिस दर पर अनुमन्य हैं, उस ग्रेड वेतन के लिए अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय रहेगी।''

3- शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-4 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा अगले आदेश निर्गत किये जाने तक प्रदेश के सरकारी सेवकों (प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलत करते हुये) को यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता वर्तमान में किसी ग्रेड पे के लिए जिस दर पर अनुमन्य है उस ग्रेड वेतन के लिए अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय होगा।

4- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव

-2-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1/2017 /जी-2- 200(1)/दस-2016-3/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3 कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।